



EMA INDIA LIMITED

CIN:L27201UP1971PLC003409

Mfrs. of Induction
Heating and Honing
Machines & Accessories

02nd February, 2025

To,
Manager-CRD,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai-400001

Dear Sir / Ma'am,

Sub: Copy of Advertisement published in Newspaper- Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2024.

Re: EMA India Limited; Scrip Code: 522027

Pursuant to the provision of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed herewith the copies of advertisement published in 'Financial Express' English Edition and 'Rashtriya Sahara' Hindi Edition on 01st February, 2025 for Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2024.

Kindly, take the same on your record.

Thanking You,

Yours faithfully

For EMA India Limited

NAMITA
SABHARWAL

Digitally signed by
NAMITA SABHARWAL
Date: 2025.02.02
12:04:06 +05'30'

(Namita Sabharwal)
Company Secretary and Compliance Officer
Membership no.- A35411

Encl: As above

Regd. Office & Postal Address
EMA INDIA LTD.
C-37, Panki Industrial Area
P.O. Udyog Nagar
Kanpur-208 022
INDIA

Honing Machine Division
GEHRING INDIA
(A Div. of Ema India Ltd.)
Vill. Maharajpur, 19th Km. Stone
P.O. Tantiyaganj, Mandhana
Kanpur Dehat-209 203
INDIA

EMA
Tel. : +91-512-691210-11-12-13
Fax : +91-512-691214
GEHRING
Tel. : +91-5112-20105, 20107
Fax : +91-5112-20106
E-mail : emain@lw1.vsnl.net.in



अफीमकोठी से जरीब चौकी जाने वाली सड़क पर लगा भीषण जाम।

फोटो : एसएनबी

कार सवार छात्रों ने छात्राओं से की छेड़छाड़
कानपुर (एसएनबी)। बर्ग थाना क्षेत्र के जूही डब्ल्यू टू इलाके में शुक्रवार को एक स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी, जहां पर कुछ छात्र कार से आये हुए थे। इस दौरान कार सवार छात्रों ने स्कूटी सवार छात्राओं के आगे कार लगाकर छेड़छाड़ शुरू कर दी। छात्रों की हकत से छात्राएँ सहम गईं। आसपास के लोग के एकत्र होने पर छात्र मौके से भाग निकले। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हुई है। वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। बर्ग थाना प्रभारी नीरज ओझा ने बताया कि मौके पर पुलिस को भेजा था। वहां पर कोई नहीं मिला। यदि कोई तहरीर देता है तो मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वहां के लोगों से पूछताछ की गई है। स्कूल वालों से भी संपर्क किया जा रहा है।

EMA INDIA LIMITED				
Regd. Office: C-37 Panki Industrial Area, Udyog Nagar, Kanpur - Uttar Pradesh Website: www.emaidd.info, E-mail: emaindia.cs@gmail.com				
Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2024 (Rs. in Lakhs, except per share data)				
Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Nine Months ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2023 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	0.00	0.00	0.00
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(15.97)	(41.37)	(11.68)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(15.97)	(41.37)	(13.89)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(15.97)	(41.37)	(13.89)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(15.97)	(41.37)	(13.89)
6	Equity Share Capital	100.50	100.50	100.50
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)*	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	(1.59) (1.59)	(4.12) (4.12)	(1.38) (1.38)

Note-(a) The above is an extract of the detailed format of Nine Months ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Nine Months Financial Results are available on the Stock Exchange website: www.bseindia.com and on company's website: www.emaidd.info. (b) The financial results were approved by the Board of Directors at their meeting held on 31st January, 2025. (c) The Statutory Auditors of the Company have carried out the limited review in respect of the unaudited financial results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2024. (d) Having considered the resultless talks with big business houses for exploring new business as well as continuous losses in the company coupled with negative net worth, the management has determined that the Company has ceased to be a going concern. Accordingly, all assets below market value have been impaired to keep on realisable value as determined by the management and taken on record by board of directors on meeting of board of director dated 6th of February 2024.

For EMA India Limited
Ranjana Bhargava
(Whole Time Director)



सहारा

कलासीफाइड

सहारा

विज्ञापन

सूचना

सूचना

मैंने अपनी पुत्री का नाम ADITYATIYA KANAUIJA से बदलकर ADITI KANAUIJA रख दिया है। भविष्य में पुत्री को अदिति कनौजिया पुत्री पणू कनौजिया, निवासी-67 ए, आई.आई.टी., कल्याणपुर कानपुर नगर से जाना जाये।

(सीबीके-कानपुर)

मेरे पुत्र के सैन्य दस्तावेजों में नूटिवश मेरा नाम RUKMARHI जन्मतिथि 05.08.1968 दर्ज है। जबकि मेरा वास्तविक नाम HARGYAN SINGH GURJAR, जन्मतिथि 15.06.1968 दर्ज है। जबकि मेरा वास्तविक नाम HARGYAN SINGH जन्मतिथि 04.06.1954 है। HARGYAN आर्मी नं. JC483769F नायब सुबेदार उदयभान सिंह गुर्जर, 4 राजपूत, निवासी ताजपुर, तहसील टोडाभीम, जिला करौली, राजस्थान, 322230, द्वारा शपथपत्र संख्या-1459, दिनांक 10.12.2024 हिंडौन सिटी।

(सीबीके-फर्रुखाबाद)

मेरे पुत्र के सैन्य दस्तावेजों में नूटिवश मेरा नाम RUKMARHI जन्मतिथि 05.08.1968 दर्ज है। जबकि मेरा वास्तविक नाम RUKMANI जन्मतिथि 01.06.1960 है। RUKMANI M/o आर्मी नं. JC483769F नायब सुबेदार उदयभान सिंह गुर्जर, 4 राजपूत, निवासी ताजपुर, तहसील टोडाभीम, जिला करौली, राजस्थान, 322230, द्वारा शपथपत्र संख्या-1458, दिनांक 10.12.2024 हिंडौन सिटी।

(सीबीके-फर्रुखाबाद)

मैं श्रीमती मालती दिनेश मालवीया पत्नी दिनेश शंकर मालवीया, निवासी म.नं. 8/67, आर्य नगर, कानपुर मेरा विवाह दिनेश शंकर मालवीया से वर्ष 1986 में हुआ था, विवाह से पूर्व मेरा नाम कु. मालती अक्स्यो था और विवाह के पश्चात मेरा नाम श्रीमती मालती दिनेश मालवीया हो गया है, मुझे श्रीमती मालती दिनेश मालवीया पढ़ा व जा ना जाये।

(सीबीके-कानपुर)

मेरा पुत्र कृष्णदेव त्रिपाठी उर्फ प्रियम के चालचलन ठीक न होने के कारण मैंने उसे अपनी चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। उसके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य से मेरा या मेरे परिवार के लोगों का कोई लेनादेना नहीं है। वह खुद जिम्मेदार होगा। देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी पुत्र शिवदयाल त्रिपाठी, मोहल्ला- सुभाषनगर गुरसहायगंज।

(सीबीके-गुरसहायगंज)

मेरा यूपी बोर्ड प्रयागराज हाईस्कूल का अंकपत्र सह प्रमाणपत्र जिसका अनुक्रमांक 1309264, क्रमांक 0008888 वर्ष 2019 जो वास्तव में कहीं खो गया है। हिमांशु यादव पुत्र अरविंद कुमार, निवासी-दयापुरवा (सिसाही) रसूलबाबाद का. दे।

(सीबीके-रसूलबाद)

मैंने अपने छोटे पुत्र गुलाम चिश्ती व पुत्रवधू तबस्सुम बेगम से संबंध विच्छेद कर अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। इनके किसी भी कार्यों का हमारे परिवार से कोई वास्ता नहीं होगा। सुल्तान अहमद पुत्र स्व. नजीर अहमद, मु. बर्कीटोला, फफूंद (औरैया)।

(सीबीके-औरैया)

मेरे मुवक्किलान कैलाश चंदोला एवं सेहलता चंदोला निवासी -2/480 माक्रोबर्टगंज थाना ब्यालटोली कानपुर उत्तर प्रदेश-208001 ने अपने पुत्र योगेश चंदोला पुत्रवधू गीता को उनके दुर्व्यवहार, अनैतिक कृत्यों के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखलकर संबंध विच्छेदकर लिए हैं। उनके किसी कृत्य, लेन-देन हेतु मेरे मुवक्किलान जिम्मेदार नहीं होंगे। मोहंर चंद्र (एडवोकेट)

(बिल नोएडा डी)

कानपुर। शनिवार • 1 फरवरी • 2025

राष्ट्रीय
सहारा | www.rashtriyasahara.com |



हमारे स्वयंसेवक लोगों तक पहुंचकर उनसे 'बचत पत्र' भरावाएंगे, जिसमें वे बताएंगे कि हमारी मुफ्त कल्याणकारी पहलों के माध्यम से वे कितनी बचत कर रहे हैं।

— अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, दिल्ली

जेल गये पति ने कोर्ट में 50 हजार जमा किए, अब छूटेगा

कानपुर (एसएनबी)। परिवार न्यायालय की अपर प्रधान न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट ने पत्नी के भरण पोषण के बकाया 5.40 लाख रुपये नहीं जमा करने पर पति को गुरुवार को जेल भेजा था। शुक्रवार को पति ने कोर्ट में 50 हजार रुपये जमा कराए। साथ ही किडनी की बीमारी का हवाला दिया। इस पर कोर्ट ने वारंट निरस्त कर दिया।

चक्रेरी निवासी लड़की की फतेहपुर निवासी लड़के के साथ फरवरी 2020 में शादी हुई थी। शादी के बाद पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया। इस पर पत्नी ने 2021 में भरण पोषण का मुकदमा दर्ज कराया। कोर्ट ने नवंबर 2021 को पत्नी को प्रतिमाह 10 हजार रुपये भरण पोषण दिए जाने का आदेश पति को दिया था, लेकिन उसने रुपया जमा नहीं किया।

परिवार न्यायालय ने 5.40 लाख बकाये भरण पोषण पर भेजा था जेल

इसके चलते भरण पोषण के 5.40 लाख रुपये बकाया हो गए। कोर्ट ने पति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इस मामले में डीजीपी को पत्र लिखा गया था। गुरुवार को पति परिवार न्यायालय की अपर प्रधान न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट ने हाजिर हुआ। पति ने 10 हजार रुपये देने की बात कही, लेकिन पत्नी ने बकाये की धमराशि में महज 10 हजार रुपये लेने से इंकार कर दिया। इस पर कोर्ट ने पति को जेल भेज दिया। शुक्रवार को पति की ओर से कोर्ट में 50 हजार रुपये जमा कराए गए, जिस पर कोर्ट ने वारंट निरस्त कर दिया।

मार्ग दुर्घटनाओं में दो की मौत

अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार महिला की मौत, दो गंभीर

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

कानपुर।

महाकुंभ प्रयागराज से स्नान कर घर लौट रहे आर्टिका कार सवार की गाड़ी में महाराजपुर क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार एक महिला की मौत हो गयी, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गये। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस सीसीटीवी के जरिये घटना करने वाले वाहन का पता लगा रही है।

राजस्थान प्रांत के केलवाड़ा के बारा गांव से पदम राठौर अपने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने गए थे। शुक्रवार सुबह वह लोग प्रयागराज से अपने घर लौट रहे थे। वह लोग जब महारापुर थाना क्षेत्र के मेहोली मोड़ पर पहुंचे तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आर्टिका कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी और उसमें सवार लोग अंदर फंसकर रह गये। चीखमुकार सुनकर आसपास

महाराजपुर थाना क्षेत्र के मेहोली मोड़ पर हुई घटना
महाकुंभ से स्नान कर लौट रहा था राजस्थान का परिवार

के लोग मदद को दौड़े। कार के अंदर लोगों को फंसा देख मामले की जानकारी पुलिस को दी गयी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला, जिसमें सीताराम राठौर की पत्नी आशा (60), महेश की बेटी तनुप्रिया (14) और पदम की पत्नी शकुन (40) गंभीर रूप से घायल हो गयीं। पुलिस ने घायलों को सरसौल स्थित सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने आशा राठौर को मृत घोषित कर दिया। तनुप्रिया और शकुन की हालत गंभीर देख उन्हें जिला अस्पताल फिर कर दिया गया है। पुलिस ने आशा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

कानपुर।

बिधनू थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक गाड़ी के साथ काफी दूर तक सड़क पर राइडता चला गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। घटना के बाद डंपर चालक गाड़ी समेत भाग निकला। घाट मपुर थाना क्षेत्र के रतारा कस्बा निवासी पियूष त्रिपाठी (25) गुरुवार देर रात बाइक से नौबस्ता जा रहे थे। वह जब बिधनू थाना क्षेत्र के कानपुरस्सागर हाईवे पर स्थित हबबसपुर गांव के पास पहुंचे ही थे कि तभी एक तेज रफ्तार डंपर ने उसकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने पर पियूष बाइक के साथ सड़क पर राइडता चला



हवासा

खचाखच भरी ट्रेन में धक्का लगाने से छात्र गिरा, मौत

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

कानपुर।

महाकुंभ के चलते यात्रियों से भरी खचाखच ट्रेन में एक प्रतियोगी परीक्षा के छात्र की रावतपुर क्षेत्र में ट्रेन से गिरकर मौत हो गयी। वह एटा से प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान करने और फिर प्रयागराज में ही काराये का कम्पा लेकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए घर से निकला था। छात्र के परिवारियों ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर

एटा जिले के निथौली कला थाना क्षेत्र के नगला खिल्ली गांव निवासी किसान लल्लू सिंह का बेटा अनिल कुमार (28) प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। परिवार में मां शांति, भाई धीरज और पिता लल्लू हैं। भाई धीरज ने बताया कि छोट्टा भाई अनिल मौजूदा समय में लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहा था। वह बुधवार को घर से प्रयागराज जाकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की बात कहकर निकला था। उसने कहा था कि प्रयागराज में जाकर पहले

प्रयागराज महाकुंभ नहाने और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने जा रहा था
एटा से ट्रेन में बैठा था, रावतपुर के पास हुआ हादसा

महाकुंभ में संगम स्नान करेगा। इसके बाद अपनी तैयारी शुरू करेगा। वह अफसर बनने के बाद ही घर लौटेगा। उसका यह सपना पूरा नहीं हो सका और रावतपुर में ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हो गई। जीआरपी ने परिजनों को हादसे की सूचना दी। मौत की खबर मिलते ही पिता और दोनों भाई कानपुर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। शव की शिनाख्त की। जीआरपी के अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद ट्रेन को रोककर जांच की गई थी। ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी और अनिल गेट पर बैठा हुआ था। इस दौरान पीछे से तेज धक्का आया और उसकी नीचे गिरने से मौत हो गई। परिवार के लोग गुरुवार शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर गांव निकल गए।



से खचाखच भरी हुई थी और अनिल गेट पर बैठा हुआ था। इस दौरान पीछे से तेज धक्का आया और उसकी नीचे गिरने से मौत हो गई। परिवार के लोग गुरुवार शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर गांव निकल गए।

दसवीं के छात्र ने अपनी सीनियर को बहाने से बुलाया घर

नशीला पेय पिलाकर किया रेप, वीडियो भी बनाया

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

कानपुर।

बर्ग थाना क्षेत्र में एक 10वीं कक्षा के छात्र ने अपने ही स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा को बहाने से घर बुला नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेवशु कर दिया और रेप किया। इसके बाद उसका अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी छात्र पीड़िता को अपने घर से लेकर अलग-अलग होटलों में बुलाकर उसका शोषण करता रहा। आरोपी की हकतों से त्रस्त होकर छात्रा ने परिजनों को आपबीती बताई। पीड़िता के भाई ने इसका विरोध किया तो आरोपी और उसके भाई ने उसे बेहमी से पीटा। छात्रा के पिता की तहरीर पर बर्ग पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप, पाकसो समेत अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।

बर्ग विश्ववैक क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी बेटी रतनलाल नगर स्थित एक स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा है। इसी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं कक्षा के एक नाबालिग छात्र ने सितंबर 2024 में बेटी को बहाने से अपने घर बुलाकर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेवशु करने के बाद रेप किया। छात्र ने बेटी के अश्लील वीडियो भी बना लिये। इसके बाद वीडियो वायरल

बर्ग थाना क्षेत्र का मामला

आरोपी के स्कूल में ग्यारहवीं की छात्रा है पीड़िता

वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार किया रेप

पीड़िता के परिजनों ने विरोध किया तो भाई को जमकर पीटा

बर्ग थाने में पीड़िता के पिता ने दर्ज करायी संगीन धाराओं में रिपोर्ट

करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा और अपने घर व अलग-अलग होटलों में बुलाकर रेप किया। हर बार उसका वीडियो भी बनाया। पीड़िता के पिता ने बताया कि उनका बेटा भी इसी स्कूल में इंटर का छात्र है, एक दिन उसने आरोपी छात्र द्वारा बहन को धमकाते हुए देख लिया। इस पर उसने आरोपी को समझाने का प्रयास किया तो उसने जान से मारने की धमकी देते हुए गालीगलौज शुरू कर दी। इसके बाद

संक्षिप्त खबरें

आग से झुलसी महिला ने दम तोड़ा

कानपुर। पनकी थाना क्षेत्र के गंगागंज निवासी सावित्री देवी (54) की गुरुवार देर रात एक निजी अस्पताल में मौत हो गयी। सावित्री देवी 25 जनवरी की रात को खाना बनाते समय आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गयी थीं। परिजनों ने उन्हें पास ही स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। मृतका के परिवार में पति रोडवेज बस चालक अशोक, बेटी आकांशा, मुस्कान और क्षमा हैं, जिसमें क्षमा अविवाहित है, बाकी दोनों लड़कियां की शादी हो चुकी है। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

एयर गन से किशोरों ने की फायरिंग

कानपुर। बिराहना रोड कृष्णा होटल निवासी मुकेश अग्रवाल ने गुरुवार शाम को पुलिस को सूचना दी थी कि दो किशोर फायरिंग कर भागे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी चेक किए और स्कूटी नंबर का आधार पर उनके बारे में जानकारी की। घर पहुंची पुलिस को किशोर ने बताया कि वह अपने साथी दोस्त के साथ स्कूटी से जा रहे थे। इस दौरान साथी ने स्कूटी की डिग्री में रखी एयर गन से फायर कर दिया था। थाना प्रभारी कलकटरगंज ने बताया कि दोनों किशोर छात्र हैं और जिससे फायर हुए थे वह एयर गन थी। दोनों छात्रों ने माफी मांगते हुए दोबारा गलती न करने की बात कही। इसलिए दोनों लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है।

फायर करने वाला युवक

बंदूक के साथ गिरफ्तार

कानपुर। सेन पश्चिम पारा थाना प्रभारी ने बताया कि न्यू आजाद नगर निवासी गौरव कुमार ने वहाँ के रहने वाले दयाराम के खिलाफ जान से मारने की निवृत्त से लाइसेंस बंदूक से फायर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी के पास से लाइसेंस डबल बैरल की बंदूक, पांच जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा बरामद हुआ है।

महिला को ससुरालियों ने पीटा

जेठ पर छेड़छाड़ का आरोप

कानपुर। चक्रेरी निवासी महिला के अनुसार उनकी शादी 28 नवंबर 2021 को ग्वालटोली निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी के कुछ माह बाद से ही पति समेत ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि उनका जेठ छेड़छाड़ी कर अश्लील इशारे करता था, जिसका विरोध करने पर पति समेत ससुरालीजन उन्हें ही भला बुरा कहते थे। सात जनवरी को सभी ने मिलकर उन्हें मारपीट कर बच्चों के साथ घर से भगा दिया। तब से वह मायके में रह रही हैं। चक्रेरी थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।

(एसएनबी)



दिखाए। बर्ग थाना प्रभारी नीरज ओझा ने बताया कि मामले में आरोपी छात्र के खिलाफ रेप, पाकसो, नशीला पदार्थ देने समेत अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गयी है। जबकि आरोपी के भाई के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की गई है। छात्रा का मेडिकल और मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।